

कार्यालय:वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक : 30

दिनांक : 18.05.2021

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 08/पी.आई/2021 दिनांक 16.05.2021 के निर्देशानुसार दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई जरिये माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश क्रमांक 215/स्था/2021 दिनांक 17.05.2021 के अनुसार निर्देशित न्यायालयों द्वारा की जायेगी।

अन्य ऐसे मामले जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं हैं उनको स्थगित कर कॉमन डेट्स दी जाकर दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक सुनवाई हेतु नियत किराया अधिकरण, नियमित दिवानी(अंतरिम ब्यादेश/स्थगन मामलों के अलावा), निष्पादन प्रार्थना पत्र, नियमित आपराधिक, विविध आपराधिक (जमानत व सुपुर्दगी के अलावा), परिवाद, आदि सभी मामलों में निम्न तालिका के अनुसार आगामी कॉमन डेट्स नियत की जाती है—

क. सं.	पूर्व नियत पेशी दिनांक	प्रकरण जिनमें अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।	आपराधिक मामलों जिनमें अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है।	दीवानी/किराया अधिकरण मामलों
1.	18.05.2021	31.05.2021	09.08.2021	02.08.2021
2.	19.05.2021	01.06.2021	10.08.2021	03.08.2021
3.	20.05.2021	02.6.2021	11.08.2021	04.08.2021
4.	21.05.2021	03.06.2021	12.08.2021	05.08.2021
5.	22.05.2021	04.06.2021	13.08.2021	06.08.2021
6.	24.05.2021	05.06.2021	16.08.2021	07.08.2021



वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा

क्रमांक : 924

दिनांक : 18.05.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. नोटिस बोर्ड
2. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि, उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वैबसाईट पर अपलोड करें।
4. कार्यालय प्रति।


18/5/2021
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा